FORM N0. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर दीगोद, मुकाम दीगोद जिला कोटा

न्याज मोहम्मद बनाम सरकार

किस्म मुकदमा इजराय मुकदमा नम्बर सन् 28 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.06.2025	इजराय प्रार्थना पत्र, प्रार्थी न्याज मोहम्मद की ओर जरिये अधिवक्ता आबिद खान द्वारा प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। इजराय प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर पारित निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार दीगोद को पत्र जारी हो। मिसल वास्ते पालना रिपोर्ट इन्तजार में दिनांक 29.07.2025 को पेश हो। [signature]	
27/6/25	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी ने राज... में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई ... हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 31/07/25 को पेश हो।	
31/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप०। इजराय पालना प्राप्त हुई। जो शामिल फाईल की जाती है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से संख्या से नाम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
/2024	13.12.2024	18.06.2025

उनवान

1– न्याज मोहम्मद आत्मज शेर मोहम्मद उम्र 70 साल निवासी मेदपुर मोहल्ला करबला चौक सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0) (प्रतिवादी)

वादी की ओर से –श्री आबिद खान एडवोकेट

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट</u>

<u>निर्णय</u>

वादिनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

यह कि ग्राम गोकुलपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 71 नया 62 पुराना खसरा संख्या 145 रकबा 1.21 है0 खसरा संख्या 46 रकबा 2.42 है0 खसरा संख्या 47 रकबा 0.33 है0 कुल 3 किता रकबा 3.96 है0 एवं ग्राम गोकुलपुरा तहसील दीगोद में खाता संख्या 88 नया 78 पुराना खसरा संख्या 154/566 रकबा 0.04 है0 खसरा संख्या 31 रकबा 0.49 है0 खसरा संख्या 32 रकबा 0.17 है0 कुल 3 किता रकबा 0.70 है0 स्थित है। उक्त आराजी में वादी के पिता का नाम नूर मोहम्मद दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी के पिता का नाम शेर मोहम्मद है और समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम न्याज मोहम्मद आत्मज शेर मोहम्मद है जिससे वादी को सरकारी योजनाओं में किसान केडिट कार्ड आदि लेने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

यह कि उक्त वादी के पिता का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी, आदि में वादी के पिता का नाम शेर मोहम्मद अर्थात न्याज मोहम्मद आत्मज शेर मोहम्मद है। परन्तु ग्राम गोकुलपुरा की उक्त आराजीयात की जमाबन्दी में न्याज मोहम्मद आत्मज नूर मोहम्मद दर्ज होने से सरकारी योजनाओं का लाभ व भूमि सुधार के लिए किसान क्रेडिड कार्ड लेने से वंचित हो रहा है। वादी को दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम दुरूस्त कराने का कानूनन अधिकार है इसलिए वादी के पिता का नाम दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा ग्राम गोकुलपुरा की भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम न्याज मोहम्मद आत्मज शेर मोहम्मद के स्थान पर न्याज मोहम्मद आत्मज नूर मोहम्मद दर्ज कर दिया है जो गलत है उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम नूर मोहम्मद के स्थान पर शेर मोहम्मद दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 05.12.2024 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वाद कारण दिनांक 05.12.2024 को उत्पन्न हुआ जब कि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम दुरूस्त नहीं करने की कहने पर पैदा हुआ। उपरोक्त मामला अर्जेन्ट नेचर एवं इमीजिएट रिलीफ से संबंधित होने के कारण

सहायक कलक्टर
दीगोद जिला कोटा (राज0)

को धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह टिस नहीं दिया गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में दी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे:-

कि ग्राम गोकुलपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खाते में खाता संख्या 71 62 पुराना की खसरा संख्या 145 रकबा 1.21 है0 खसरा संख्या 46 रकबा 2.42 है0 सरा संख्या 47 रकबा 0.33 है0 कुल 3 किता रकबा 3.96 है0 और ग्राम गोकुलपुरा की ाता संख्या 88 की खसरा संख्या 154/566 रकबा 0.04 है0 खसरा संख्या 31 रकबा 0.49 0 खसरा संख्या 32 रकबा 0.17 है0 कुल 3 किता 0.70 है0 भूमि स्थित है जिसमें वादी के पेता नाम नूर मोहम्मद दर्ज है। वादी का नाम न्याज मोहम्मद आत्मज नूर मोहम्मद के स्थान पर न्याज मोहम्मद आत्मज शेर मोहम्मद दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादी की ओर से निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

1- नकल जमाबन्दी सवंत् 2074-2077
2- नकल आधार कार्ड
3- नकल पहचान पत्र
4- नकल पेन कार्ड

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। जिसमें वादी का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंषा की गई है। प्रकरण में जवाब सहमति परक होने से तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं होने पर प्रकरण साक्ष्य ली गयी। वादी साक्ष्य में PW-1 न्याजमोहम्मद पुत्र शेरमोहम्मद PW-2 सत्तार खां पुत्र नूर मोहम्मद का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण को बहस पर नियत किया गया। वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड वादी के अधिवक्ता की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम गोकुलपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 71 नया 62 पुराना खसरा संख्या 145 रकबा 1.21 है0 खसरा संख्या 46 रकबा 2.42 है0 खसरा संख्या 47 कबा 0.33 है0 कुल 3 किता रकबा 3.96 है0 एवं ग्राम गोकुलपुरा तहसील दीगोद में खाता संख्या 88 नया 78 पुराना खसरा संख्या 154/566 रकबा 0.04 है0 खसरा संख्या 31 रकबा 0.49 है0 खसरा संख्या 32 रकबा 0.17 है0 कुल 3 किता रकबा 0.70 है0 भूमि में वादी का नाम न्याज मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद दर्ज है जिसे दुरुस्त किया जाकर वादी का नाम न्याज मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद के स्थान पर न्याज मोहम्मद पुत्र शेर मोहम्मद दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का नाम विवादित आराजी में न्याज मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद के स्थान पर न्याज मोहम्मद पुत्र शेरमोहम्मद दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने की घोषणा की जाती है। मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

सहायक
दीगोद, जिला

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1– न्याज मोहम्मद आत्मज शेर मोहम्मद उम्र 70 साल निवासी मेदपुर मोहल्ला करबला चौक सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0) (प्रतिवादी)

वादी की ओर से –श्री आबिद खान एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट

मिसल नं 340 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –वादी का वात्र पत्र स्वीकार करते हुए ग्राम गोकुलपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 71 नया 62 पुराना खसरा संख्या 145 रकबा 1.21 है0 खसरा संख्या 46 रकबा 2.42 है0 खसरा संख्या 47 रकबा 0.33 है0 कुल 3 किता रकबा 3.96 है0 एवं ग्राम गोकुलपुरा तहसील दीगोद में खाता संख्या 88 नया 78 पुराना खसरा संख्या 154 / 566 रकबा 0.04 है0 खसरा संख्या 31 रकबा 0.49 है0 खसरा संख्या 32 रकबा 0.17 है0 कुल 3 किता रकबा 0.70 है0 भूमि में वादी का नाम न्याज मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद के स्थान पर न्याज मोहम्मद पुत्र शेर मोहम्मद राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 18.06.2025 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

प्रति प्रमाणित

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज0)